राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 755/2025

प्रीति शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
2. निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव कृषि विपणन विभाग, कृषि भवन, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर संभाग, कुकरखेड़ा, कृषि उपज मंडी, सीकर रोड़, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 07.02.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेंन्द्र कुमार सैनी, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 18.08.2009 के आदेश द्वारा कृषि विपणन विभाग में कनिष्ठ कृषि विपणन अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था तथा दिनांक 16.03.2022 के आदेश द्वारा उसे संयुक्त प्रबंध निदेशक, कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर में कनिष्ठ कृषि विपणन अधिकारी के पद पर पदस्थापना दी गई। तत्पश्चात परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर उसे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण कराया गया तथा अपीलार्थी को उक्त पद पर स्थायी किया गया। (अनुलग्नक–1) प्रत्यर्थी विभाग को डीपीसी 2019–2020 में कृषि विपणन अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया था, दिनांक 09.10.2019 के आदेश के अनुसार पदोन्नति दी गई थी। अपीलार्थी को उक्त पद पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद प्रत्यर्थी विभाग ने 02.03.2020 को फिक्सेशन आदेश जारी किया। (अनुलग्नक–2) प्रत्यर्थीगण को डी.पी.सी. 2019–2020 में कृषि विपनन अधिकारी के पद पर पदोन्नत कर दिनांक 09.10.2019 के आदेश द्वारा पदोन्नति दी गई। अपीलार्थी को उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण कराया गया। तत्पश्चात प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 02.03.2020 को पदस्थापना आदेश जारी किया। अपीलार्थीगण (कृषि विपणन अधिकारी) सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, मंडावर, दौसा जिला– दौसा (राजस्थान) के पद पर कार्यरत थे। प्रतिवादियों को दिनांक 23.07.2022 (अनुलग्नक–3) के आदेश द्वारा

अपीलार्थीगण को (कृषि विपणन अधिकारी) सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, मंडावर, दौसा जिला– दौसा से (कृषि विपणन अधिकारी) सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, कोटपुतली, जयपुर में स्थानांतरित किया गया। अपीलार्थी ने उक्त पद पर 01.08.2022 को कार्यभार ग्रहण किया था। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा डीपीसी वर्ष 2023–24 में सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया था। अपीलार्थी ने उक्त पद पर दिनांक 26.02.2024 को कार्यभार ग्रहण किया था। (अनुलग्नक–4) प्रत्यर्थी विभाग ने 15.01.2025 (अनुलग्नक–5) को एक स्थानांतरण आदेश जारी किया, जिसके तहत अपीलार्थी को (सहायक निदेशक) सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, कोटपुतली, जिला कोटपुली बहरोड़ (राजस्थान) से (सहायक निदेशक) सचिव कृषि उपज मंडी समिति, दौसा, जिला दौसा (राजस्थान) में स्थानांतरित कर दिया गया। अपीलार्थी के स्थान पर यहां कोई भी पदस्थ नहीं है। वर्तमान पद भी रिक्त पड़ा है। अपीलार्थी 26.02.2024 को उक्त पद पर कार्यरत है। उक्त तिथि से एक वर्ष (लगभग 11 माह) की अवधि के भीतर निजी प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के स्थान पर (सहायक निदेशक) सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, दौसा, जिला– दौसा में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रत्यर्थी विभाग की स्थानांतरण नीति के अनुसार तीन वर्ष की अवधि बीतने से पहले कर्मचारी का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर, यह आरोपित स्थानांतरण आदेश दिनांक 13.01.2025 मनमाने तरीके से, बिना उचित आवेदन के, दुर्भावनापूर्ण इरादे से और कानून के प्रावधान के खिलाफ पारित किया गया है। अपीलार्थी ने अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को अनदेखा करते हुए अपने बच्चे के शैक्षणिक सत्र के मध्य में ही अपने दो बच्चों, बेटे (हिमांक) को आठवीं बोर्ड में तथा बेटी (आरणा यादव) को पांचवीं बोर्ड में अध्ययनरत कर लिया है। वर्तमान स्थानांतरण स्थान बहुत दूर 120 किलोमीटर दूर है। अपीलार्थी की सास बहुत वृद्ध हैं तथा उनकी आंखों की रोशनी बहुत कम है तथा वे कई बीमारियों से ग्रस्त हैं तथा वे अपीलार्थी के साथ ही रहती हैं, उनके पालन–पोषण तथा दैनिक कार्य के लिए कोई परिवार सदस्य उपलब्ध नहीं है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आलौच्य आदेश दिनांक 13.01.2025 (अनुलग्नक–5) को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को (सहायक निदेशक) सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, कोटपुतली, जिला– कोटपुली–बहरोड़ (राजस्थान) के पद पर सभी परिणामी लाभ सहित निरंतर कार्यरत रखा जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि

वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है। अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य